<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

ओमप्रकाश विश्नोई बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी लोहावट)

सू.अ.अ. अपील संख्या 43 / 2020</th><th>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>02.03.20</td><td>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी ओमप्रकाश विश्नोई पुत्र मोहनराम, पता ग्राम राजाला पोस्ट पीलवा तहसील लोहावट, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 17.12.2019 में उसके द्वारा (1) ग्राम पंचायत सदरी तहसील लोहावट में कौन–कौन से राजस्व गाव में कितने कितने खसरे सरकारी, पड़त, औरण, गैरमुमकीन नाडी, गैरमुमकीन गौचर, आबादी, श्मशान, कबिस्तान की स्थित है, व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लोहावट) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।
अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लोहावट) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(उपखण्ड अधिकारी लोहावट) से जरिये पत्रांक 320 दिनांक 28.02.2020 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया गया कि प्रार्थी श्री ओमप्रकाश द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत पूर्व में कोई आवेदन इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ। रिपोर्ट में आगे कहा कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है फिर भी यदि प्रार्थी चाहे तो कार्यालय समय में पत्रावलियों का अवलोकन कर सकता है तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन कर इस कार्यालय में उपलब्ध सूचना प्राप्त कर सकता है।
चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी / प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी लोहावट कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है तथा चाही गई सूचना भी उनके कार्यालय से संबंधित नहीं है अतः ऐसी स्थिति में अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। अपीलार्थी से आग्रह किया जाता है कि यदि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट पर किसी प्रकार की शंका उत्पन्न होती है तो वो कार्यालय समय में लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लोहावट) कार्यालय में जाकर पत्रावलियों का अवलोकन कर सकता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</td><td></td></tr>
</table>